

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय सरकार वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक:- 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/रूल्स/2010 दिनांक:-25.04.2012 के अंतर्गत निम्नलिखित व्याख्यातों से आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे रूपये छः सौ रूपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से दिव्यांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क. स	नाम व विषय	पदस्थापन स्थान	आवेदन प्राप्ति दिनांक
1	2	3	4
1.	डायाराम व्या० इतिहास	राउमावि, मोहर कलां, रायपुर मारवाड-पाली	24.02.21

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नती एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का दिव्यांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक:- 15.03.2021

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणी-इति/दिव्यांग वाहन भत्ता/2020-21

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित प्रधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक को सूचित किया जाता है की आपका मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र आपसे संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को प्रेषित कर दिया गया है।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर